बजट-2024-2025 /समयबद्ध/ अनुस्मारक-।
संख्या-1/2024-बी-3-।/473847/दस-2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 17 जनवरी, 2024

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर मा0वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु बजट सामग्री उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर मा0वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु बजट सामग्री वित्त विभाग को विलम्बतम दिनांक 30.11.2023 तक उपलब्ध कराये जाने विषयक शासनादेश संख्या-4/2023/बी-3-576/2023, दिनांक 16.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 16.10.2023 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों का विवरण अधिकतम 05 पृष्ठों में कृतिदेव-10 फॉण्ट में तैयार कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के हस्ताक्षर से सम्बन्धित वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभागों को प्रेषित किया जायेगा तथा बजट भाषण की सामग्री भी हस्ताक्षरित हार्ड कापी के साथ-साथ साफ्ट कापी (MS WORD KRUTI DEV-10 FONT) सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को ई-मेल/पेन ड्राइव द्वारा प्रेषित की जायेगी।

3- आप अवगत है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट की तैयारी का कार्य अंतिम चरणों में है। अतएव इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संदर्भित पत्र दिनांक 16.10.2023 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार व्यक्तिगत ध्यान देते हुए निश्चित रूप से दिनांक 19.01.2024 तक मा0वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु बजट सामग्री अपने वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग कों उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विशेष सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन विभागों से समन्वय कर मा0वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु समयान्तर्गत बजट सामग्री उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in